



*jktLFkku LVV ekbll , .M feujVI fy0*

*VjktLFkku I jdkj dk midæ*

*8 oLV iVsy uxj ] I fdV gkml jkM ] tkski g*

*fufonk I d; k % vkj-, I -, e-, e-@, I ch; w, .M ihl h&, y-, I -@  
thth, e&, y, I @I fonk& 02@16&17@ fnukad 22@07@2016*

*I LFkku ds tS yej , oa I kuwLFkr dk; kLy; ifjI j , oa  
vkokl h; ifjI j Mkou , oa I Md½ dh I Okbz grq*

*fufonk i j =*

निविदा जमा कराने की तिथि-समय	.....	दिनांक 12/08/2016 अपरान्ह 3.00 बजे तक
निविदा खुलने की तिथी-समय	.....	दिनांक 12/08/2016 अपरान्ह 3.30 बजे तक
निविदा प्रपत्र का मूल्य	.....	रु. 573/- (ब्रिकी कर सहित)
स्थान	.....	जैसलमेर कार्यालय राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लि0 खनिज भवन बी.पी. टेंक के पास
निविदा प्रपत्र की बिकी	.....	दिनांक 22/07/2016 से दिनांक 12/08/2016 अपरान्ह 1.00 बजे तक (कार्यालय समय में, राजकीय अवका 1 व रविवार के अतिरिक्त)

*I eng egki cl/kd MkbE LVku½  
tkski g dk; kLy; dh vkj I s tkjh*





# jk tLFkku LVV ekbll , .M feujVI fyfeVM

(राजस्थान सरकार का एक उपक्रम)

8] olV iVsy uxj ] lfdV gkml jkM ] tskij

Phone: 0291 2511031 / 2516199 Fax: 0291 2511029

निविदा संख्या आर.एस.एम.एम./एसबीयू एण्ड पीसी-एल.एस./जीजीएम-एलएस/संविदा-02/16-17 दिनांक : 22.07.2016

## fufonk l puk

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्नलिखित कार्यों के लिए एक वर्ष की कार्य अवधि हेतु स्वयं के स्वामित्व एवं अनुभवी सफाई कार्य संचालकों से मुहरबन्द निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

dk; l dk foj.k	fufonk ij = fod; o iLr; djus dh friff	ljkj jk'k , oafufonk ij = eV;	dk; l voifk , oavupfur ykx
संस्थान के जैसलमेर एवं सानू स्थित कार्यालय परिसर एवं आवासीय परिसर (समस्त भवनों, सड़कों, शौचालयों, स्नानगारों, नालियों के साथ-साथ विभिन्न स्थलों पर स्थित छोटी एवं बड़ी होदियों एवं सम्बन्धित पाईप लाईन) की नियमित सफाई कार्य करवाने हेतु।	कम्पनी के जैसलमेर कार्यालय :- खनिज भवन, बी.पी. टैंक के पास, दिनांक 22.07.2016 से 12.08.2016 दोपहर 01.00 बजे तक निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 12.08.2016 को अपराह्न 3.00 बजे तक	धरोहर राशि रुपये 6, 000 /-  निविदा प्रपत्र (अहस्तान्तरणीय) रुपये 573 /- मू.सं. कर (अप्रतिदेय)	कार्य अवधि 1 वर्ष  अनुमानित लागत #0 300 लाख
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 12.08.2016 अपराह्न 3.30 बजे जैसलमेर कार्यालय		
सम्पर्क अधिकारी-वरि.प्रबन्धक (अनुबन्ध)	दूरभाष-(0291) 2511031, E-Mail: kishorevyas.rsmml@rajasthan.gov.in		
विस्तृत निविदा सूचना तथा अन्य शर्तें website- www.rsmm.com पर देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र वेबसाईट से भी डाउनलोड किया जा सकता है।			

'kr-

- निविदा प्रपत्र दिनांक 22-07-2016 10-00 cts l s vijkg 2-30 cts rd l s fnukd 12-08-2016 vijkg 100 cts rd किसी भी कार्य दिवस (रविवार एवं सार्वजनिक अवकाश के अलावा) fuMj'k jk'k yf'k 'k[k tJ yej dk; k; (खनिज भवन बी.पी. टैंक के पास) में नकद जमा करवाकर अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट जो कि राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लि0 के नाम पर जैसलमेर स्थित बैंक में देय हो भेजकर डाक द्वारा भी प्राप्त किये जा सकते हैं। जिसके लिए डाक राशि अलग से देय होगी।
- निर्धारित प्रपत्रा में भरी हुई मुहर बन्द निविदाएं जैसलमेर कार्यालय (खनिज भवन बी.पी. टैंक के पास) पर स्वीकार की जावेगी एवं उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी।
- बिना धरोहर राशि के निविदा मान्य नहीं होगी।
- बिना कारण बताये उपरोक्त निविदा को निरस्त करने का अधिकार प्रबन्धन के पास सुरक्षित रहेगा।

l eg-egki cl/kd

एस.बी.यू.एण्ड पी.सी.-लाईम स्टोन





# *jktLFkku LVV ekbUI , .M feujYI fyfeVAM*

(राजस्थान सरकार का एक उपक्रम)

*8/ olV iVsy uxj / lfdV gkml jkM / tskij*

Phone: 0291 2511031 / 2516199 Fax: 0291 2511029

निविदा संख्या आर.एस.एम.एम./एसबीयू एण्ड पीसी-एल.एस./जीजीएम-एलएस/संविदा-02/16-17 दिनांक : 22.07.2016

## *fufonk ij =*

संस्थान राजस्थान स्टेट माइन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, राजस्थान सरकार का एक उपक्रम है। संस्थान के निज भवन कार्यालय एवं अधिकारी एवं कर्मचारी आवासीय कॉलोनी जैसलमेर में स्थित है। संस्थान की सानू खदान जैसलमेर-रामगढ़ सड़क पर जैसलमेर से 53 कि.मी. की दूरी पर स्थित है एवं खदान कार्यालय परिसर सानू खदान में स्थित है।

निविदाकर्ता निविदा भरने से पूर्व समस्त कार्य व इनकी स्थिति अच्छी तरह देख समझकर ही अपने रेट प्रस्ताव भरे। निविदा प्रपत्र खोलने के बाद किसी भी प्रकार की अनभिज्ञता एवं आपत्ति/संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

### *1- dk; l dk fooj. k&*

जैसलमेर में स्थित निज भवन कार्यालय भवन, अधिकारी एवं कर्मचारी आवासीय कॉलोनी एवं सानू खदान स्थित विभिन्न कार्यालय, भवनों आदि स्थानों पर प्रतिदिन झाड़ू व पोछा आवश्यक रूप से लगाना, एवं विभिन्न स्थलों व स्थानों पर स्थित समस्त सड़कों, शौचालयों, स्नानगारों, नालियों के साथ-साथ विभिन्न स्थलों पर स्थित छोटी एवं बड़ी हौदियों एवं सम्बन्धित पाईप लाईन की नियमित सफाई हेतु कार्य करवाये जाने एवं इनके व डब्बू सी आदि जाम हो जाने की स्थिति में उनकी तत्काल सफाई कार्य करवाये जाने है। कार्य का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

1.1 संस्थान के *tS yej fLFkr vtoki h; dkWkuth %f/kdkjh , oa depljh dkWkuth/ ifj/ j* स्थित शौचालय व स्नानागारों एवं उक्त स्थलों पर स्थित छोटी एवं बड़ी हौदियों एवं संबंधित पाईप लाईन की सफाई का कार्य, सप्ताह के समस्त दिवसों पर, (केवल त्यौहारों के अवकाश के दिनों को छोड़कर) नियमित सफाई का कार्य, जिसमें संस्थान द्वारा एक वर्ष में कम से कम पांच हौदियों की सफाई कराई जायेगी तथा जिसके लिए आपको पूर्व में लिखित में सूचित किया जायेगा।

1.2 संस्थान के *tS yej fLFkr [kut Hkou dk; kY;* स्थित शौचालय व स्नानागारों एवं छोटी एवं बड़ी हौदियों एवं संबंधित पाईप लाईन की सफाई का कार्य, सप्ताह के समस्त दिवसों पर, (केवल त्यौहारों के अवकाश के दिनों को छोड़कर) नियमित सफाई का कार्य, जिसमें संस्थान द्वारा एक वर्ष में कम से कम पांच हौदियों की सफाई कराई जायेगी तथा जिसके लिए आपको पूर्व में लिखित में सूचित किया जायेगा।

*UM-* उक्त दोनों स्थलों पर समुचित सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु अनुबंधकर्ता को कंपनी के निर्देशानुसार पर्याप्त संख्या में कर्मचारी सप्ताह के समस्त दिवसों पर, (केवल त्यौहारों के अवकाश के दिनों को छोड़कर) प्रातः 8:00 से सायं 4:00 बजे तक उपलब्ध कराने होंगे।

### *1.3 l kuw [knku dk; kY; ifj/ j l Ecfllr&*

संस्थान के सानू खदान स्थित कार्यालय भवन एवं उसमें स्थित शौचालयों, स्नानागारों एवं नालियों तथा विभिन्न निर्धारित स्थलों पर जिनका विवरण नीचे दिया गया है, पर समुचित एवं नियमित साफ सफाई की व्यवस्था करनी होगी।





- 2.6 सफल निविदाकर्ताओं को अनुबंध की कुल राशि का 5 प्रतिशत अमानत राशि के रूप में जमा करानी होगी। निविदाकर्ता द्वारा अमानत राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में धरोहर राशि को अमानत राशि में समायोजित कर बकाया राशि हेतु बिल में से कटौती कर वसूल की जायेगी।
- 2.7 अमानत राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि अनुबंधकर्ता बिना किसी पूर्व सूचना के कार्य छोड़कर चला जाता है अथवा संस्थान को किसी प्रकार की हानि पहुंचाता है तो उक्त हानि की भरपाई उसकी अमानत राशि से की जायेगी।
- 2.8 निविदाकर्ता को प्रतिदिन निर्धारित समय पर नियमित सफाई कार्य करना आवश्यक होगा। अनुबंधकर्ता को, शर्त क्रम संख्या 1 व शर्त क्रम संख्या 2 में वर्णित भवनों, स्नानघरों, शौचालयों आदि स्थानों पर प्रतिदिन झाड़ू व पोछा आवश्यक रूप से लगाना होगा। साथ ही उक्त स्थानों पर नाली, सीवरेज लाइन, एवं छोटी व बड़ी होदी, डब्यू सी आदि जाम हो जाने की स्थिति में उनकी तत्काल सफाई करनी होगी।
- 2.9 उपरोक्त वर्णित क्षेत्र व उसके आस पास मरे हुये जानवरों (यदि कोई है) को, खान कार्यालय, जैसलमेर कार्यालय एवं आवासीय परिसर से दूर ले जाकर फेंकना होगा।
- 2.10 सफाई कार्य हेतु उपयुक्त सामग्री झाड़ू, पोंछा एवं बाल्टी आदि स्वयं अनुबंधकर्ता को लाना होगा तथा उसकी सार-सम्भाल की जिम्मेदार भी निविदा कर्ता की होगी।
- 2.11 सफाई कार्य हेतु अन्य सामग्री यथा फिनाईल, एसिड, सोप आदि कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।
- 2.12 निविदा कर्ता को अधिकृत अधिकारी द्वारा समय समय पर जारी अन्य दिशा – निर्देशों का भी पालन करना होगा।
- 2.13 निविदा कर्ता को प्रत्येक माह की 5 वीं तारीख तक दो प्रतियों में बिल अधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा बिल के साथ दैनिक आधार पर संतोषजनक रूप से समस्त निर्धारित कार्य स्थलों पर संतोषप्रद कार्य निष्पादन के पक्ष में संबंधित अधिकृत अधिकारी को दैनिक हस्ताक्षर युक्त सत्यापन रिपोर्ट, निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी। बिल का भुगतान सामान्यतया सात दिन की अवधि में आवश्यक वैधानिक कटौती के पश्चात शेष राशि का भुगतान आर.टी.जी.एस. द्वारा सीधे निविदाकर्ता के बैंक खाते में ही किया जायेगा।
- 2.14 यदि किसी दिन सफाई कर्मचारी किसी भी कार्य स्थल जैसलमेर/सानू माईन्स से अनुपस्थित रहेगा तो उस दिन का भुगतान देय नहीं होगा तथा इसके अतिरिक्त रुपये 300/- प्रतिदिन प्रति स्थल के हिसाब से दण्ड स्वरूप कटौती मासिक बिल से की जायेगी।
- 2.15 कार्य के दौरान सर्विस टैक्स का भुगतान निविदाकर्ता द्वारा किया जायेगा। तदुपरांत उक्त राशि का नियमानुसार पुनर्भरण, निविदाकर्ता द्वारा भुगतान संबंधी वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने पर, कंपनी द्वारा किया जायेगा।
- 2.16 यदि निविदाकर्ता किसी दिन सफाई हेतु सफाई कर्मचारी नियुक्त नहीं करता है तो संस्थान द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था पर खर्च राशि की वसूली अनुबंधकर्ता के मासिक बिल में से की जायेगी।
- 2.17 यदि निविदा कर्ता 7 दिन तक लगातार सफाई नहीं करता है, तो उसके अनुबंध को बिना किसी सूचना के समाप्त करने का अधिकार संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।
- 2.18 निविदाकर्ता को कान्ट्रैक्ट लेबर ऐक्ट (रेगुले इन एवं एबोलि इन) ऐक्ट, 1971 एवं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 तथा मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936 के समस्त लागू प्रावधानों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012



एवम् राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 की अनुपालना में निविदा प्रपत्र में निम्न एनेक्सर्स संलग्न किए हैं:-

- Annexure-A: Compliance with the code of Integrity and No Conflict of Interest.  
Annexure-B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications.  
Annexure-C: Grievance Redressal during Procurement process & form No. 1.  
Annexure-D: Additional Conditions of Contract.

**Annexure-B** में निविदाकर्ता द्वारा घोशणा किया जाना आवश्यक है।

2.19 निविदाकर्ता निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर स्वयं के हस्ताक्षर मय मुहर एवं दिनांक लगाना आवश्यक है।

### 3.0 निर्णय (Negotiation)

3.1 कम्पनी द्वारा केवल न्यूनतम दर प्रस्ताव (L1) देने वाले निविदाकर्ता से नेगोियेशन किया जा सकता है। न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता के दर प्रस्ताव को उपयुक्त न पाने की अवस्था में कम्पनी प्रबंधन लिखित काउन्टर ऑफर द्वारा न्यूनतम निविदाकर्ता को अपना प्रस्ताव देने पर विचार कर सकती है और यदि यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता है तो कम्पनी या तो निविदा प्रक्रिया को निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित करेगी अथवा उसी काउन्टर आफर को द्वितीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (L2) को तत्पश्चात् तृतीय न्यूनतम दर प्रस्ताव देने वाले निविदाकर्ता (L3) को एवं दर प्रस्ताव प्रक्रिया के उपरोक्त क्रमानुसार दिया जावेगा। जो भी निविदाकर्ता इस प्रक्रिया के अनुसार काउन्टर आफर स्वीकार करेगा उसे कार्य आदेश दिया जा सकता है। कम्पनी द्वारा जारी किया जा सकता है।

3.2 अगर निविदाकर्ता द्वारा नेगोियेशन के दौरान दिया हुआ प्रस्ताव उसके प्रारम्भिक दर प्रस्ताव से अधिक है तब भी निविदाकर्ता पूर्व में भरी हुई कम दर प्रस्ताव पर कार्य करने हेतु बाध्य होगा।

3.3 नेगोियेशन के दौरान निविदाकर्ता के प्रतिनिधि को निविदाकर्ता द्वारा लिखित सहमति /अधिकार पत्र (written authority) प्रस्तुत करना होगा जिसमें कि यह स्पष्ट वर्णित होगा कि उसका प्रतिनिधि निविदा प्रपत्र में भरी हुई दर प्रस्ताव को संशोधित /बदलने के लिए प्राधिकृत है। इसमें निविदाकर्ता को किसी प्रकार का उज्र नहीं होगा।

4.00 सफाई कार्य हेतु खनिज भवन एवं आवासीय परिसर जैसलमेर हेतु कम्पनी के निर्देशानुसार पर्याप्त कर्मचारी सप्ताह के समस्त कार्य दिवसों पर सुबह 8:00 बजे सायं 4:00 बजे तक (केवल त्यौहारों के अवकाश के अतिरिक्त) आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने होंगे। आवश्यकतानुसार प्रबंधन द्वारा उक्त समय अवधि में परिवर्तन भी किया जा सकता है। सानू मार्इन्स पर भी सफाई व्यवस्था हेतु प्रातः 6:00 बजे से अपराह्न 2:00 बजे तक सप्ताह के समस्त कार्य दिवसों पर (केवल त्यौहारों के अवकाश के अतिरिक्त) उपलब्ध कराने होंगे।

4.1 अनुबन्ध अवधि के दौरान यदि कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो संस्थान द्वारा एक माह की अग्रिम सूचना देकर अनुबन्ध को समाप्त किया जा सकेगा।

4.2 निविदाकर्ता को समय-समय पर प्रशासन विभाग व अन्य अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना अनिवार्य रूप से करना होगा।

4.3 यदि निविदाकर्ता अनुबन्ध की अवधि के पूर्व अनुबन्ध को समाप्त करना चाहे तो इसके लिये प्रबंधन को एक माह पूर्व सूचित कराना आवश्यक होगा, तथा ऐसी स्थिति में निविदाकर्ता की समस्त धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।

4.4 राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 की धारा 40 के अर्न्तगत यदि कोई भी बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला उपापन संस्थान के किसी भी निर्णय,

कार्यवाही या लोप, जैसी भी स्थिति हो, से किसी भी रूप में असंतुष्ट या खफा है, तो वह निर्धारित फीस जमा करवाकर, दस दिन के भीतर निर्धारित प्रथम या द्वितीय अपीलेंट अथॉरिटी को उक्त निर्णय, कार्यवाही या लोप का स्पष्ट उल्लेख करते हुए फार्म नं. 1 (देखें नियम 83) – राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम- 2012 की मेमोरेण्डम ऑफ अपील के तहत अपील कर सकता है।

*1 eg-egki.cll/d*

एस.बी.यू.एण्ड पी.सी.–लाईम स्टोन



## iZrko

निविदा संख्या आर.एस.एम.एम./एसबीयू एण्ड पीसी-एल.एस./जीजीएम-एलएस/संविदा-02/16-17 दिनांक : 22.07.2016

*fo'k; I dFtku ds tJ yej fLFkr dk; kJ; Hkouj vtokl h; dkkYkuh i fjI jI , d  
% ml ea fLFkr 'kkpky; kJ Lukuxkjk , d ukfy; kJ dh fu; fer I QkbZ dk; Z  
grqegjcln fufonk iZrko dk vka. kA*

महोदय,

मुझे/हमें उपरोक्त कार्य के सम्बन्ध में निविदा संख्या आर.एस.एम.एम./एसबीयू एण्ड पीसी-एल.एस./जीजीएम-एलएस/संविदा-00/16-17 दिनांक 00.07.2016 की सभी भातों से सहमत हैं। उक्त कार्य के सम्बन्ध में चाही गई सूचनाएँ एवं कार्य की दरें निम्नानुसार हैं।

<i>de 10</i>	<i>I puk dk foj. A</i>	<i>foj. A</i>
1	धरोहर राि I का विवरण ड्राफ्ट संख्या एवं दिनांक बैंक का नाम एवं भाखा	
2	कार्य अनुभव का विवरण (दस्तावेज कोई है तो संलग्न करें)	
3	रजिस्ट्रे इन संख्या एवं दिनांक	
4	पैन नं0	
5	टिन नं0	
6	निविदाकर्ता द्वारा विभाग की अनुमति पत्र संलग्न है या नहीं।	

(सभी दस्तावेज संलग्न करें)

हस्ताक्षर निविदाकर्ता  
पता एवं दूरभाश नं0



**Bank Details of Tenderer for RTGS/NEFT/Online refund of EMD**

Sl.No.	Description	Details
1	Name of Tenderer & Address	
2	e-mail ID	
3	Telephone Number Mobile no.(for SMS)	
3	Bank Account No.	
4	Banker details: a) Name b) Branch No. c) Address	
5	Type of A/c : Saving / Current / CC/ any other	
6	IFSC code	

Name & Signature of Tenderer  
with seal





## ANNEXURE-A

### Compliance with the Code of integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall:

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process.
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation.
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process.
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process.
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

### Conflict of Interest:

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
  - a. have controlling partners/shareholders in common; or
  - b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
  - c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
  - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
  - e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
  - f. the Bidder or any of its affiliates participated as a contractor in the preparation of the design or technical specifications of the Goods. Works or Services that are the subject of the Bid; or
  - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/contractor for the contract.







**The designation and address of the First Appellate Authority is –**

**Secretary to the Government of Rajasthan,  
Department of Mines & Petroleum,  
Secretariat,  
Jaipur**

**The designation and address of the Second Appellate Authority is –**

**Principal Secretary to the Government of Rajasthan,  
Department of Finance,  
Secretariat,  
Jaipur**

**(1) Filing an appeal**

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

**(4) Appeal not to lie in certain cases**

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procumbent;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;



- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

**(5) Form of Appeal**

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

**(6) Fee for filing appeal**

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

**(7) Procedure for disposal of appeal**

- (a) The first Appellate Authority or Second Appellate Authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and document, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall:-
  - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
  - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.



**Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act,  
2012**

Appeal No. .... of .....  
Before the .....(first/second Appellate Authority)

1. Particular of appellant:
  - (i) Name of the appellant:
  - (ii) Official address, if any:
  - (iii) Residential address:
2. Name and address of the respondent(s):
  - (i)
  - (ii)
  - (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclosed copy, or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Ground of appeal : .....  
.....  
.....(Supported by an affidavit)
7. Prayer: .....  
.....  
Place .....  
Date .....  
Appellant's Signature





### Additional Conditions of Contract

#### 1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected.
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

#### 2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent (20%) , of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

